ब०–15/बी०एस०जी०–57/25/– 410 /वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

मुकेश कुमार लाल
विशेष सचिव ।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभाग,
बिहार, पटना ।

पटना–15, दिनांक– 12/06/2025

विषयः– SNA SPARSH Module में अधिसूचित केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के सफल क्रियान्वयन के संबंध में दिशा–निर्देश ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा SNA SPARSH Module के तहत अधिसूचित 28 स्कीमों (सूची संलग्न) को Component wise (General, SCSP and TSP) एक ही HoA (Head of Account) से केन्द्रांश एवं राज्यांश के e-payment हेतु दावा/विपत्र (Claim/Bill) बनाने की व्यवस्था की गयी है ।

2. उक्त व्यवस्था के आलोक में एक ही HoA से केन्द्रांश एवं राज्यांश के e-payment हेतु विपत्र (Bill) बनाने के लिए राज्यांश मद की सम्पूर्ण राशि को उसी स्कीम के अन्तर्गत केन्द्रांश मद में हस्तान्तरित किए जाने हेतु निम्नांकित प्रक्रियाओं का अनुपालन विभाग स्तर से किया जाना है :–

(i) वर्तमान वित्तीय वर्ष में SNA SPARSH Module में अधिसूचित स्कीमों के लिए संबंधित विभागों द्वारा इस हेतु राज्यांश मद में उपबंधित राशि को प्रत्यर्पित करते हुए समतुल्य राशि को उसी स्कीम अन्तर्गत Component wise (General, SCSP and TSP) केन्द्रांश मद में अनुपूरक के माध्यम से उपबंध कराये जाने हेतु तत्संबंधी प्रस्ताव वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

(ii) उपर्युक्त कंडिका–(i) में निहित प्रस्ताव के आलोक में SNA SPARSH Module में अधिसूचित स्कीमों के लिए संबंधित विभागों द्वारा राज्यांश के प्रावधान का प्रत्यर्पण एवं उसी स्कीम अन्तर्गत Component wise (General, SCSP and TSP) केन्द्रांश के प्रावधान कराने के लिए उद्व्यय की प्राप्ति हेतु योजना एवं विकास विभाग से समन्वय स्थापित कर कार्रवाई पूर्ण कर लिया जाय ।

(iii) SNA SPARSH Module में अधिसूचित स्कीमों के लिए संबंधित विभागों द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष से स्कीम के लिए केवल केन्द्रांश मद हेतु कर्णांकित विपत्र कोड में केन्द्रांश एवं राज्यांश मद के संपूर्ण राशि का उपबंध कराया जाना होगा । साथ ही, कर्णांकित विपत्र कोड के साथ केन्द्रांश एवं राज्यांश के अनुपात का उल्लेख कराया जाना होगा ।

3. उपर्युक्त कंडिका–2(i) के संबंध में सभी संबंधित विभागों से अपेक्षा है कि वित्तीय वर्ष 2025–26 में उक्त अधिसूचित स्कीमों के लिए राज्यांश मद में उपबंधित राशि से व्यवहृत राशि के उपरांत अवशेष राशि का ही प्रत्यर्पण किया जाय तथा प्रत्यर्पण के समतुल्य राशि का उपबंध उस स्कीम के केन्द्रांश मद में कराया जाय।

4. उपर्युक्त दिशा–निर्देशों के क्रियान्वयन/अनुपालन में उत्पन्न कठिनाई के निराकरण हेतु वित्त विभाग के बजट शाखा से सम्पर्क किया जाय।

अनुलग्नकः यथोक्त ।

विश्वासभाजन

(मुकेश कुमार लाल)
विशेष सचिव।